

**समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**  
(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

**आदेश**


अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 08 दिनांक 25.05.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष- 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष- 101 अनुग्रहित राहत /उपशीर्ष 0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र सं०- N 2245021010003, मांग सं०- 39 विपत्र शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में प्राप्त आवंटन मो०- 9,00,000.00 (नौ लाख)रु० को अंचलाधिकारी, मोतिहारी/चिरैया/केसरिया एवं रामगढवा को निम्न प्रकार उपावटित किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	उपावटित राशि	व्यय विवरणी
1	अंचल अधिकारी मोतिहारी	1,50,000.00	दिनांक 04.12.2012 को अग्निकाण्ड में मृतक ऐनूल मियाँ के परिजन मु० मैमूल नेशा (पत्नी) ग्राम राजपुर, पो०- रूपडीह को भुगतान हेतु।
2	अंचल अधिकारी चिरैया	1,50,000.00	दिनांक 31.12.2012 को अग्निकाण्ड में मृतक अमित कुमार के निकटतम परिजन श्री रामपुकार ठाकुर (पिता) ग्रा०+पो०- खरतडी को भुगतान हेतु।
3	अंचल अधिकारी केसरिया	3,00,000.00	दिनांक 23.04.2012 को अग्निकाण्ड में मृतक अनिता देवी के निकटतम परिजन श्री मनोज सहनी (पति) ग्रा०+पो०- सुन्दरापुर मलाही टोला एवं मृतक अमित कुमार के निकटतम परिजन श्री मनोज सहनी (पिता) को भुगतान हेतु। (प्रत्येक को 1.50 एक लाख पचास हजार रु०) की दर से
4	अंचल अधिकारी रामगढवा	3,00,000.00	दिनांक 15.02.2013 को अग्निकाण्ड में मृतक रेश्मी कुमारी के निकटतम परिजन श्री पप्पू पटेल (पिता) एवं मृतक बियफी देवी के निकटतम परिजन श्री केदार राउत (पति) उपरोक्त दोनों ग्रा०- शिवनाथ नगर सतपीपरा को भुगतान हेतु। (प्रत्येक को 1.50 एक लाख पचास हजार रु०)की दर से
5	कुल	9,00,000.00 (नौ लाख)	


अंचल अधिकारी, मोतिहारी/चिरैया/केसरिया एवं रामगढवा को निर्देश दिया जाता है कि इसकी निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से करेंगे साथ ही इस राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं करेंगे। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह उपावटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। यदि उपरोक्त उपावटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 31.12.2014 तक निश्चित रूप से कर दे अन्यथा इसे व्यय मानते हुए सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा एवं इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

संबंधित अंचलाधिकारी, उचित पावति एवं पहचान पर नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

  
20/9  
जिला पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

- ज्ञापांक 386 / दिनांक 22.09.2014 /
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मोतिहारी, चिरैया, केसरिया एवं रामगढवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी, सिकरहना, चकिया एवं रक्सौल को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, आई०टी० मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

  
20/9  
जिला पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।